

OFFICE OF THE MADHYA PRADESH STATE MINOR FOREST PRODUCE (TRADE & DEVELOPMENT) CO-OPERATIVE FEDERATION LIMITED

A-Block, First Floor, Van Bhawan, Tulsi Nagar, BHOPAL-462003.

Application Form

For Appointment on Contract basis post of Scientist & Lab Assistant

1. Name of the Applicant :
(in Block Letters)

2. Father's Name :
(in Block Letters)

3. Permanent Address :
:
:

4. Correspondence Address/ :

5. Present Address :
:

6. Nationality :

7. Name of State to which :
you belong

8. Date of Birth : 9. Gender: (Male/Female).....

10. Telephone/Mobile :

11. Educational Qualifications (Highest First): (Documents enclosed)

Qualification	University/Institute	Year of Passing	Percentage	Specialization/Major Subjects

Affix recent
passport size
Photograph

12. Experience (Latest First): (Documents enclosed)

Name of Organization	Designation	Nature of Duties	Period		Emoluments (Last 3 months)
			From	To	

13. Application Fees Details: (Original DD enclosed)

DD Number	Name of Bank and Branch	Date of Issue	Amount

Declaration: I hereby declare that all statements made in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found untrue/false/ incorrect or I do not satisfy the eligibility criteria, my candidature/ appointment will be cancelled/ terminated, without assigning any reasons thereof. I have read the contents of the advertisement and agree to abide by the rules, regulations and procedures for appointment to the post applied for.

Date

Place.....

(Signature of Applicant)

**मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए ब्लॉक, प्रथम तल, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल.- 462 003**

Email : md.mfpfed@mp.gov.in mpmfpit@gmail.com

Website : www.mfpfederation.org

**लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी भोपाल, में वैज्ञानिक
(रसायन/फार्माकोलॉजिस्ट) एवं लैब सहायकों के पद पर संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें: –**

1. अर्हताओं का निर्धारण: –

1.1: अधिकतम आयु सीमा – 40 वर्ष (दिनांक 01.01.2025 को)

1.2: शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं पारिश्रमिक: –

S. No.	Name of Post	Number of positions to be filled	Salary & Pay Grade	Educational Qualification, Work Experience and Skill
1	2	3	4	5
1.	Scientist (Chemistry)	02	Fix pay Rs. 50490/- on contract basis (90% of Pay Scale 56100-177500 (Level 12))	- अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:—फाईटोकेमेस्ट्री / एनालिटिकल केमेस्ट्री / आर्गेनिक केमेस्ट्री / फार्मास्युटिकल केमेस्ट्री / इण्डस्ट्रीयल केमेस्ट्री में स्नातकोत्तर उपाधि। - वरीयता:—संबंधित विषय में पी.एच.डी. उपाधिधारी को वरीयता दी जावेगी। - Liquid Chromatograph Mass Spectrometry /MS, High Performance Liquid Chromatograph, Atomic Absorption Gas Chromatography MS FTIR व अन्य उपकरण चलाने की चार वर्ष की योग्यता। - शासकीय एवं अर्द्धशासकीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में दो वर्ष तक का कार्य अनुभव। - कम से कम दो रिकोग्नाइज्ड वैज्ञानिक जर्नल / मैगजीन में पब्लिकेशन। - कम्प्यूटर का ज्ञान।
2.	Lab. Assistant (Chemistry)	01	Fix pay Rs. 25830/- on contract basis (90% of Pay Scale 28700-91300 (Level 7))	- रसायन विज्ञान/फार्मास्युटिकल केमेस्ट्री विषय सहित स्नातक उपाधि। - मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में न्यूनतमक एक वर्ष का कार्य अनुभव।
3.	Lab. Assistant (Microbiology)	01	Rs. 25830/- on contract basis (90% of Pay Scale 28700-91300 (Level 7))	- जीव विज्ञान/रसायन विज्ञान/बायो केमेस्ट्री / माइक्रोबायोलॉजी विषय में स्नातक उपाधि। - मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में न्यूनतम एक वर्ष का कार्य अनुभव।
Total		04		

2. सामान्य शर्तें:—

1. संविदा शर्तों पर नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष तथा अधिकतम तीन वर्षों के लिए होगी।
2. सफल उम्मीदवार को रुपये 500/— के स्टाम्प पेपर पर संविदा शर्तों के विषय में अनुबंध निष्पादित करना होगा। उक्त संविदा अनुबंध का नवीनीकरण एक बार में एक वर्ष के लिए उनके द्वारा किये गये कार्यों के आंकलन के आधार पर होगा। संविदा कर्मियों के लिए Performance Appraisal Report (PAR) लिखा जायेगा तथा संविदा सेवक को 8 या 8 से अधिक के अंक प्राप्त होते हैं तथा प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अवधि वृद्धि की अनुशंसा की जाती है, तो अवधि वृद्धि की जा सकेगी।
3. संविदा सेवक को कर्मचारी भविष्य निधि की पात्रता होगी।
4. कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में एक माह का नोटिस जारी कर संविदा सेवाओं से पृथक किया जा सकेगा। इसी प्रकार अचानक सेवा छोड़ने/त्यागपत्र देने/लगातार बिना सूचना कार्यालय से अनुपस्थित होने की स्थिति में तीन माह का वेतन देय होगा।
5. पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, मानदेय व सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी।
6. केवल आकस्मिक अवकाश की पात्रता संघ के नियमों के अनुसार रहेगी।
7. चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति संघ के नियमों के अनुसार रहेगी।
8. मुख्यालय से बाहर प्रवास पर जाने हेतु संघ नियमानुसार यात्रा व्यय एवं भत्ते की पात्रता होगी।
9. कार्य संतोषप्रद रहने की दशा में एक वर्ष उपरांत दोनों पक्षों की आपसी सहमति से संविदा अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
10. इस संविदा नियुक्ति से भविष्य में नियमितिकरण या किसी पद पर नियुक्ति हेतु क्लेम नहीं बनेगा।
11. संविदा नियुक्ति पर उपस्थिति के समय जिला मेडिकल बोर्ड, भोपाल से चिकित्सीय परीक्षण उपरांत स्वास्थ्य के संबंध में जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र में शासन/संघ सेवा के अयोग्य पाये जाने पर यह संविदा नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त किया जा सकेगा।
12. चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) की प्रत्याशा में संविदा नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि नियुक्ति के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि श्री शासकीय सेवा म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यातिदत्त की सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है, तो उन्हें दी गई संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. किसी कदाचार या किसी अपराधिक कार्यकलाप में लिप्त होने की दशा में बिना किसी कारण बताये तथा अनुशासनहीनता के फलस्वरूप संविदा सेवक की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

3. अन्य शर्तें:—

1. अनुबंध अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध होगा। उल्लंघन पाये जाने की दशा में सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया जा सकेगा।
2. आवेदन के समय प्रस्तुत दस्तावेज यदि असत्य/त्रुटिपूर्ण/फर्जी पाये जाते हैं, तो सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया जा सकेगा।
3. यदि संविदा पर अनुबंधित व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति अथवा बगैर किसी ठोस कारण के अपने कर्तव्य से 15 दिवस से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है, तो उसकी संविदा अनुबंध ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।
4. अनुबंध के अंतिम कार्य माह का पारिश्रमिक भुगतान तभी किया जावेगा जब, अनुबंधित संविदा कर्मियों संपूर्ण शासकीय रिकार्ड, डेटा एवं अन्य सामग्री विधिवत रूप से हस्तांतरण करेंगे।
5. म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अनुबंध के संबंध में समय-समय पर जारी आदेश/संशोधन इस संविदा अनुबंध पर भी लागू होंगे एवं संविदा कर्मियों पर बंधनकारी होंगे।
6. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ उभय पक्षों का पक्ष सुनने के बाद निर्णय ले सकेंगे जो उभय पक्षों पर अंतिम एवं बंधनकारी होगा।